न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष , न्याय कक्ष संख्या-१५ ,बुलन्दषहर।
उपस्थितः- श्रीमती कामिनी पाठक (उच्चतर न्यायिक सेवा)
सत्र परीक्षण संख्या- ६३१ सन २०१०
सरकार------------बनाम-----कलुवा पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम जाडौल
थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर।
दाण्डिक.अ.स. - १५६ सन २०१०
धारा - ३६३,३६६,३७६ भारतीय दण्ड संहिता
थाना- खानपुर जिला बुलन्दशहरं

निर्णय

१- उपरोक्त सत्र परीक्षण का सूत्रपात थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर की पुलिस द्वारा अभियुक्त कलुवा के विरूद्ध भा०दं०सं की धारा ३६३,३६६,३७६ भा०दं०सं में आरोपपत्र संख्या ११५/१० प्रेषित करने से हुआ।

२- भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३६६, ३७६ भारतीय दण्ड संहिता का अपराध सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः अवर न्यायालय द्वारा दिनांक १६.८.२०१० को प्रस्तुत प्रकरण सत्र न्यायालय के विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

३- यह सत्र परीक्षण माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार दिनांक २३.३.२०१३ को इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

४- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथन इस प्रकार है कि वादी अनवार अहमद के द्वारा प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-१ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह गांव जाडौल थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर का निवासी है। दिनांक १०.६.२०१० को उसकी पुत्री कुमारी शायॅमा उम्र करीब १६ वर्ष को कलुवा पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाटव, जो उसके ही गांव का रहने वाला है, उसकी पुत्री को १०.६.२०१० की समय करीब १०.३० बजे सुबह बहला फुसला कर भगा ले गया है। वह कल (१०.६.२०१०) से तलाश कर रहा है, अभी तक नहीं मिली है।

५- अभियुक्त के विरूद्ध नामित प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक कुॅवर पाल सिह के द्वारा की गई। जिन्होने साक्षीगण के कथन अंकित किये घटना स्थल का निरीक्षण किया और विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया ।

६- अभियुक्त कलुवा न्यायालय में उपस्थित आया। मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा

दिनांक ०६.०६.२०११ को अभियुक्त कलुवा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३६३, ३६६ एवं ३७६ के अन्तर्गत आरोपपत्र विरचित किया गया, जिसे पढ़कर अभियुक्त को समझाया गया, उसने दोषी होने से इंकार किया गया और विचारण की मांग की।

७- अभियोजन साक्ष्य अंकित किया गया ।

अभियोजन साक्षी पी.डब्लू-१ अनवार अहमद प्रथम सूचना कर्ता ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि-

'' मै अभियुक्त कलुवा को जानता हूॅ। ये मेरे गांव का है। पीड़िता कुमारी सायमा मेरी लड़की है।सायमा की उम्र घटना के समय १६ वर्ष थी।

दिंनाक १०.६.२०१० को जब मैं अपने घर से काम करने के लिये गया था, तो कलुवा मेरे घर के पास घूम रहा था। जब दोपहर को मैं अपने घर पर आया तो मुझे घर पर सायमा नहीं मिली। मैने ढूॅढा तो मुझे पता चला कि मेरी लड़की शायमा को प्रातः साढे दस बजे अभियुक्त कलुवा बहला फुसला कर ले गया है। मैं कलुवा के घर पर गया तो कलुवा की मॉ ने कहा कि हम आपकी लड़की को अभी बुलवा देते है, पुलिस मे सूचना मत करों।जब अगले दिन भी कलुवा मेरी लड़की को लेकर नहीं आया तो मैंने थाने पर प्रार्थनापत्र देकर सूचना पंजीकृत कराई, जो पत्रावली पर है।जो मैने शकील अहमद से लिखवा कर दी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रार्थनापत्र पर प्रदर्श क-१ डाला गयां। मेरी लड़की, थाने पर सूचना देने के तीसरे दिन प्राप्त हुई थी।उसने मुझे बताया था कि कलुवा उसे बहलाफुसला कर ले गया था, वहॉ पर मेरे साथ बुरा काम किया था।''

पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या-२, शायमा, ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि-

'' घटना के समय मेरी शादी नहीं हुई थी।उस समय मेरी आयु १५ वर्ष थी। मेरी जन्म तिथि ३.७.१९९५ है। मैं कक्षा आठ तक पढ़ी हूॅ। घटना दिनांक १०.६.२०१० की सुबह साढे दस बजे की है। मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, कलुवा घर के दरवाजे से कई बार निकला था ।मैं थोड़ी देर बाद चाय लेकर अपने

छोटे भाई को देने के लिये घर से निकली ।खेत के पास जब मैं पहुँची तो मैने देखा की कलुवा व उसके साथ दो ढाटा बॉधे लड़के खड़े थे। कलुवा ने मेरा मुँह दवा लिया तथा दो पहिया वाहन पर बैठा लिया। बिठाकर गांव से बाहर ले गये। वहॉ पर एक कार खड़ी थी, उसमें मुझे डाल दिया । कलुवा वहॉ से मुझे नजफगढ दिल्ली ले गया मुझे वहॉ पर एक कमरे में बन्द कर दिया और स्वयं भी कमरे में आ गया । दोनों लड़के बाहर रह गये कलुवा मे बलपूर्वक मेरे कपड़े उतार कर मेरे साथ बलात्कार किया ।जब मैने उससे कहा कि मुझे घर पर जाना है तो कलुवा ने कहा कि मैं तुझे जान से मार दूॅगा। मेरे साथ कलुवा ने एक दिन में चार- पॉच बार बलात्कार किया था। दो दिन कलुवा ने मुझे उसी कमरे में रखा । तीसरे दिन मुझे कलुवा ने कहा कि तीसरे दिन वो मुझे घर ले जायेगा। कलुवा दिनांक १३.६.२०१० को उसी कार से वापिस लेकर आया और जहॉगीराबाद में एक भोजनालय के सामने खाना खाने के लिये रूका, पुलिस ने उसे पकड़ लिया तथा मुझे भी पुलिस ने पकड़ा। मेरा बयान दिनांक १७.६.१० को दरोगाजी ने मेरा साक्ष्य मजिस्ट्रेट साहब के सामने कराया था।

साक्षी को १६४ दं.प्र.सं का साक्ष्य पढ़कर सुनाया गया तो कहा कि यह बात मैंने न्यायालय मे ंमजिस्ट्रेट साहब को दिया था। इस पर मेरा अगूॅठा है। दोनों ढाटा बॉधे व्यक्ति मैने बाद में पहचान लिये थे।उनमें से एक का नाम जितेन्द्र पुत्र राजवीर तथा दूसरे का नाम हेमन्त जो गांव के भान्जा है, थे। साक्ष्य १६४ दं.प्र.सं पर प्रदर्श क-२ डाला गया।''

अभियोजन साक्षी संख्या-३ डा० दिनेश कुमार वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर , ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि-

'' दिनांक १५.६.२०१० को इसी पद पर रहते हुये कुमारी शायमा पुत्री अनवर अहमद निवासी जाडौल थाना खानपुर बुलन्दशहर, जिसको मुख्य चिकित्साधिकारी बुलन्दशहर द्वारा क्षरश्मि हेतु भेजा गया था व पुलिस की सिपाही सुनीता सी.पी १००७ थाना बुलन्दशहर लेकर आयी थी, उसकी कोहनी, घुटना ,कलाई व हसुली की हड्डी के क्षरश्मि किये गये थे व आख्या तैयार की गयी थी ।क्षरश्मि पट्टी संख्या ८८७ के आधार पर आख्या तैयार की थी। जो आज पत्रावली पर

कागज संख्या- १३ए/१ शामिल है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इसमें कोहनी ,घुटना, व कलाई की सभी अधिप्रवर्ध (एपीजिसस) टूटी थी जब एपीक्लेविल की नही जुड़ी थी। उक्त आख्या पर कु० साईमा का अगूँठा निशानी व पहचान का चिन्ह अंकित है व मेरे द्वारा प्रमाणित है। क्षरश्मि आख्या पर प्रदर्श क-३ व क्षरश्मि पट्टी पर वस्तु प्रदर्श- १ डाला गया।''

अभियोजन साक्षी संख्या -४ डाक्टर पीतम सिंह वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि-

'' मैं दिनांक १६.६.२०१० को जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में इसी पद पर तैनात थां इस दिन मैने शायमा पुत्र अनवार अहमद निवासी जाडौल थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर की योनि से द्रव्य निकाल कर कॉच पट्टिका की जॉच की थी । ये कॉच पट्टिका डा० सुधा शर्मा महिला चिकित्सक मुद्रित अवस्था मे ंभेजी थी, जो कि प्रयोगशाला में १२.४० शाम को प्राप्त हुयी थी और उसी दिन १.१५ शाम को जॉची गयी । कॉच पट्टिका में कोई मृत व जीवित शुक्राणु नही ंपाये गये। यह आख्या मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। आख्या उसी दिन लिखी गई थी। जो मेरे सामने है। इस पर प्रदर्श क-४ डाला गया। जीवित शुक्राणु यौन सम्बन्ध के तीन घण्टे तक योनी नली में मिल सकते है और मृत शुक्राण २४ घण्टे तक मिल सकते है।''

अभियोजन साक्षी संख्या-५ डाक्टर सुधा शर्मा वरिष्ठ परामर्शदाता जिला महिला अस्पताल बुलन्दशहर ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि-

''मैं दिनांक १४.६.२०१० को जिला महिला चिकित्सालय में बतौर महिला चिकित्साधिकारी नियुक्त थी। उस दिन मैने शायमा पुत्री अनवार अहमद निवासी जाडौल थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर का अन्दरूनी चिकित्सीय परीक्षण किया था। जिसे महिला पुलिस सिपाही सुनीता ३०६ लेकर १२.१५ शाम को लेकर आयी थी।। रोगी होश हवास मे थी। रोगी का पहचान चिन्ह अंकित किया था। उसने अपनी मासिक तिथि १२.६.२०१० को बताया था। उसकी छाती विकसित थी तथा बाल पेट के नीचे उगे हुये थे। उसके शरीर पर चोट का कोई चिन्ह नहीं था। पेट के निचले हिस्से तथा जॉघों के बीच भी कोई चोट का चिन्ह नही ंथा। कोमार्य झिल्ली पुरानी

फटी हुई थी। योनि में दो उगुली जा रही थी, थोड़ा सा रक्तस्त्राव थी। योनी द्रव्य की दो कॉच पट्टिका बनायी गयी और रक्त निदान मे ंशुक्राणु परीक्षण हेतु भेजी गयी । उसके बाद आगे मुख्य चिकित्सालय के कार्यालय भेजा गया । आयु परीक्षण के लिये भेजा गया। रिपोर्ट मैने उसी समय लिखी थी ।मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क-५ डाला गया ।''

' साक्षी पी.डब्लू-६ पुलिस का सिपाही ८४३ बलजीत सिह थाना न नहरौर जनपद बिजनौर ने अपनी साक्ष्य मे ंयह कथन किया है कि-

'' मै दिनांक ११.६.२०१० को थाना खानपुर पर पुलिस सिपाही लिपिक के पद पर नियुक्त था। उस दिन मैने समय १६.०० बजे अनवार अहमद के प्रार्थनापत्र के आधार पर दाण्डिक अपराध संख्या -१५६/१० का प्रार्थनापत्र कम्प्यूटर से टकण कराया था, जो आज पत्रावली पर है। जिस पर उपनिरीक्षक जसवीरसिंह के हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क-६ डाला गया। इसके विवरण का उल्लेख मैने उसी दिन सामान्य पंजिका संख्या ३५ समय १६.०० बजे किया था। मूल सामान्य पंजिका साथ लाया हूॅ। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मसि प्रतिलिपि प्रमाणित करता हूॅ। मसि प्रतिलिपि मूल के अनुसार है। इस पर प्रदर्श क-७ डाला गया ।''

अभियोजन साक्षी संख्या- उपनिरीक्षक कुॅवर पाल सिंह वर्तमान नियुक्ति कोतवाली मैनाढेर जिला मुरादाबाद ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि-

'' दिनांक ११.६.२०१० को मैं थाना खानपुर परउपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उस दिन मैने दाण्डिक.अ.सं. १५६/१० की विवेचना ग्रहण की थी। उसी दिन नकल चिक व नकल रपट कार्यालय से प्राप्त कर नकल की तथा वादी अनवार अहमद के कथन घटना दैनिकी (केस डायरी) में अंकित किए तथा घटनास्थल पर पहुॅच कर वादी अनवार अहमद की चिन्हित करने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं उस स्थान को देखकर प्रारूप बनाया। जो आज पत्रावली पर है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क-८ डाला जाता है तथा साक्षी जमील की साक्ष्य अंकित की गई। । दिंनाक १३.६.२०१० को अभियुक्त कलुआ मय अपहृता कु० शाइमा के अभिरक्षा में अपहृता कु० शाइमा के कथन अंकित किए गए तथा

अभियुक्त कलुआ के कथन घटना दैनिकी में अंकित किए। अपहृता शाइमा के साक्ष्य के आधार पर धारा ३७६ आई.पीसी की बढ़ोत्तरी की गई। पीडिता के मिलने का घटनास्थल का प्रारूप बनाया गया। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–८ डाला जाता है। दिनांक १६.६.२०१० को अपहृता कु० शाइमा के विद्यालय प्रमाणपत्र की स्वीकृत किया गया तथा नकल घटना दैनिकी में अंकित की गई ं। जिसके विद्यालय के अभिलेखानुसार जन्म तिथि ०३.७.१९९५ अंकित है तथा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट व रक्त निदान की आख्या तथा एक आयु प्रमाणपत्र प्राप्त कर नकल घटना दैनिकी की गई। दिनांक १७.६.२०१० को पीड़िता कु० शाइमा के धारा १६४ द०प्र०स की साक्ष्य न्यायालय में अंकित करायी गयी ।न्यायालय की अनुमति से १६४ दं.प्र.सं की साक्ष्य का अवलोकन कर घटना दैनिकी में नकल की गई। अन्य दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपहृता शाइमा से पूछताछ की गई। दिनांक १९.६.२०१० को साक्षी प्रेमवीर, राजेन्द्र की साक्ष्य घटना दैनिकी में अंकित किए गए। समस्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त कलुआ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा ३६३, ३६६, ३७६ भा.दं.सं के तहत आरोपपत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया जो आज पत्रावली में है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–१० डाला जाता है।

साक्षी ने कागज संख्या १८बी को देखकर कहा कि यह सामान्य पंजिका नं० ४२ समय १७.३० दिनांक १३.६.१० को जब कलुआ मय शायमा को अभिरक्षा में लिया गया था, तब शायमा के साक्ष्यं के आधार पर ३७६ आई.पी.सी की बढ़ौत्तरी के विवरण का उल्लेख किया थां और आमद दर्ज की गयी थी।इसकी मूल समान्य पंजिका मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मसि प्रतिलिपि कागज संख्या १८बी को मैं प्रमाणित कर हस्ताक्षर करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–११ डाला जाता है।गवाह ने कागज संख्या २१बी को देखकर कहा कि यह उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय जाडौल द्वारा प्रकाशित किया गया प्रमाणपत्र है, जिसको मैने विद्यालय जाकर स्वीकृत किया था इस पर मेरे स्वीकृत करने के हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क–१२ डाला जाता है।''

साक्षी पी.डब्लू–८ संजीव कुमार गुप्ता वरिष्ठ लिपिक शिव माध्यमिक उच्चतर विद्यालय जाडौल थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया

है कि-

“ मैं शिव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाडौल में वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त हूॅं। विद्यालय का समस्त अभिलेख छात्र पंजीकरण पंजिका मेरी अभिरक्षा में रहते है। कु० सायमा बानों पुत्री श्री मौहम्मद अनवार अहमद निवासी ग्राम जाडौल ने हमारे विद्यालय में दिनांक १६.७.२००७ को कक्षा सात में प्रवेश लिया था। उसकी जन्म तिथि छात्र पंजीकरण पंजिका के अनुसार ०३.५.१९९५ हे। उसने कक्षा नौ के बाद कक्षा दस में सत्र के प्रारम्भ के तीन दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसका नाम काट दिया गया था। मैं आज मूल छात्र पंजीकरण रजिस्टर साथ लाया हूॅं। जो मेरे द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित है। इसकी छाया प्रति स्वय ंप्रमाणित कर दाखिल करता हूॅं। फोटो प्रति पर प्रदर्श क-१३ डाला जाता है।“

८- अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-१, साक्ष्य पीड़िता अन्तर्गत धारा १६४ दं.प्र.सं प्रदर्श क-२, क्षरश्मि प्रदर्श क-३, वरिष्ठ परामर्शदाता की आख्या प्रदर्श क-४, चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क-५,प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-६, नकल रपट प्रदर्श क-७, प्रारूप प्रदर्श क-८, अपहृता कु०शायमा के मिलने का प्रारूप प्रदर्श क-९ , आरोपपपत्र प्रदर्श क-१०, नकल रपट प्रदर्श क- प्रदर्श क-११ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रामणित आयु प्रमाणपत्र प्रदर्श क-१२ छात्रपंजी तथा पृथकीय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदर्श क-१३ दाखिल किये गये है।

९. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दं.प्र.सं अंकित किये गये । अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुये विशेष रूप से यह कथन किया है कि पार्टीबन्दी के कारण उसे झूठा फॅसाया गया है। पीड़िता स्वेंच्छा से उसके साथ गई थी। परिवार वालों के दवाब में पीड़िता ने कथन बदले है।

१०. अभियुक्त को प्रतिरक्षा साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया। अभियुक्त ने स्वंय को प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-१ के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया है।प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-१ ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि-

“ मेरे घर से पीड़िता शायमा का घर करीब डेढ किलोमीटर दूर है।पॉच

प्रेमपत्र शायमा ने मुझे दिये थे और यह पॉचों प्रेमपत्र प्रेम सम्बन्धों पर आधारित है। शायमा मुझ से प्यार करती थी। हम दोनेां में जाति का अन्तर था,क्योकि शायमा मुसलमान थी ।शायमा के माता-पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होने मेरे विरूद्ध मिथ्या सूचना थाने पर पंजीकृत करा दी।

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-२ वकील ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि पीड़िता का घर मेरे धर से इतनी दूर है जैसे कि न्यायालय से न्यायालय का फाटक है। पीड़िता मेरी पड़ोसी है।घटना के समय कलुआ उनके घर पर सिलाई का काम करता था ।पीड़िता का चालचलन गलत है, पीड़िता के घर वाले तथा पीड़िता कलुआ से पैसे रूपये तथा मुर्गा आदि मॉगते थे। पीड़िता अपने कलुआ के साथ चली गई। लड़का बहुत सीधा है। कलुआ के विरूद्ध मिथ्या सूचना थाने पर पंजीकृत करायी है। वहॉ बहुत से लोग है जो कह रहे है कि मिथ्या सूचना थाने पर पंजीकृत करायी है।।''

अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य मे ंसूची सबूत ५६बी से पॉच पत्र शायमा द्वारा अभियुक्त कलुआ को भेजे गये थे, दाखिल किये गये है।

११. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार शर्मा तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सुषमा सक्सैना की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

१२. अभियोजन पक्ष की ओर से यह बहस की गई है कि अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य है। नामित प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

१३. अभियुक्त की ओर से यह कथन किये गये है कि पीड़िता बालिग है, जो स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ गई थी। पीड़िता के सुपुर्दगी में लिये गये कपड़ो को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।तथ्य के साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, उसे दोषमुक्त किया जाये।

१४. अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक १०.६.२०१० की प्रातः साढे दस बजे अभियुक्त कलुआ ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ सूचनाकर्ता अनवार

अहमद की पुत्री उम्र १६ वर्ष का अपहरण किया तथा उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया।

१५. अपने कथानक को सावित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल ८ साक्षीगण न्यायालय में परीक्षित कराये गये हैं। अभियोजन साक्षी संख्या-१ अनवार अहमद सूचना कर्ता , अभियोजन साक्षी संख्या-२ स्वयं पीड़िता शायमा है। शेष साक्षीगण औपचारिक साक्षीगण है।

१६. सूचना कर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१, अनवार अहमद ने थाने पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त के विरूद्ध नामित प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी है। प्रार्थनापत्र को अभियोजन साक्षी संख्या-१ ने शकील अहमद के लेख में व अपने हस्ताक्षर की पहचान कर प्रार्थनापत्र को प्रदर्श क-१ के रूप में सिद्ध किया है।

१७. प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-१ में अंकित कथनानुसार, सूचनाकर्ता की पुत्री कुमारी शायमा उर्फ मरीम कथित घटना के समय १६ वर्ष को अभियुक्त कलुवा प्रातः १०.३० बजे बहलाफुसला कर ले गया ।

प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-१ में अंकित कथनानुसारन, पीड़िता शायमा उर्फ मरीम कथित घटना के समय १६ वर्ष की थी। सूचना कर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१ ने साक्ष्य मे ंभी पीड़िता की उम्र घटना के समय १६ वर्ष बतायी है।

अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या-२ पर अभियोजन साक्षी संख्या-१ अनवार अहमद ने यह कथन किया है कि उसके सात बच्चे है, सबसे बड़े बच्चे की आयु २२-२३ वर्ष की होगी,इसके बाद बेटी सन्ना है,जो बड़े बेटे से ढाई वर्ष छोटी है। इसके बाद आसिफ है ,यह दो- ढाई वर्ष सन्नो से छोटा है। फिर लड़की समरीव है इसकी आयु शारिफ से दो-तीन वर्ष छोटी है। फिर सायमा है इसकी आयु १६-१७ वर्ष होगी । सबसे छोटा बच्चा १३ वर्ष का है। शायमा किस सन व महीने में पैदा हुई उसे नही ंपता।

सूचनाकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१ के प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त कथनो ंसे यह स्पष्ट है कि उसके सात बच्चे है जिसमें पीड़िता शायमा पॉचवे नम्बर पर है अर्थात शायमा से दो बच्चे छोटे ओर है।सूचनाकर्ता ने अपने बच्चो में

दो–ढाई वर्ष का अन्तराल बताया है तथा अपने सबसे छोटे बच्चे की उम्र १३ वर्ष बतायी है, जिससे कथित घटना के समय पीड़िता की आयु १७–१८ वर्ष होना स्पष्ट होती है।सूचनाकर्ता, जो कि पीड़िता का पिता है, वह पीड़िता की जन्म तिथि व माह बताने में असफल रहा है।

१८.   अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–८ संजीव कुमार गुप्ता विरिष्ठ लिपिक शिव माध्यमिक उच्च विद्यालय जाडौल थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर को परीक्षित कराया है।

पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–२ शायमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–३ पर यह कथन किया है कि वह कक्षा आठ तक पढ़ी है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी है। नाम नहीं जानती ।-------उसका दाखिल कराने कौन गया था उसे नहीं पता।

पीड़िता साक्षी के अपनी प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त कथनो ंसे स्पष्ट है कि पीड़िता अपने गांव के स्कूल में आठवी कक्षा तक पढ़ी है।

अभियोजन साक्षी संख्या–८ संजीव कुमार गुप्ता के अपनी साक्ष्य में किये गये कथनानुसार, कुमारी सायमा बानो पुत्री श्री मौहम्मद अनवार अहमद निवासी ग्राम जाडौल, ने उसके विद्यालय में दिनांक १६.७.२००७ को कक्षा सात मे ंप्रवेश लिया था ।उसकी जन्म तिथि छात्र पंजीयन पंजिका के अनुसार ०३.७.१९९५ है। उसके कक्षा नौ के बाद कक्षा दस में सत्र के प्रारम्भ के तीन दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसका नाम काट दिया गया था। इस साक्षी ने छात्र पंजीयन पंजिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति दाखिल कर छात्र पजीयन पंजिका को प्रदर्श क–३ के रूप में सिद्ध किया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–८ संजीव कुमार के अपनी स्वयं के साक्ष्य में किये गये कथनानुसार, पीड़िता नवी कक्षा तक पढ़ी है और दसवी में उसके तीन दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसका नाम काट दिया गया थ ,।जब कि स्वयं पीड़िता के कथनानुसार, वह केवल कक्षा आठ तक पढ़ी है।

अतः अभियोजन साक्षी संख्या–८ व पीड़िता साक्षी संख्या–२ के पढ़ाई के

सन्दर्भ में स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे सन्देह उत्पन्न होता है।

अभियोजन साक्षी संख्या-८ ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ -१ व २ पर यह कथन किया है कि उसने शायमा की जन्म तिथि पूर्व संस्था से दिए गए स्थानान्तरण प्रमाणपत्र के आधार पर लिखी है।शायमा का दाखिल कराने उसके पिता अनवार अहमद आए थे। शायम की जन्म तिथि के सम्बन्ध में किसी ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम प्रधान का प्रमाणपत्र नहीं था। उसने पूर्व संस्था के प्रमाणपत्र के आधार पर ही प्रविष्टि की थी। उस प्रमाणपत्र के अलावा अनवार अहमद ने जन्म तिथि के सम्बन्ध में अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया था।

अभियोजन साक्षी संख्या-८ के उपरोक्त कथनो ंसे यह स्पष्ट है कि उसने अपनी संस्था के पूर्व संस्था के स्थानानतरण प्रमाणपत्र के आधार पर पीड़िता की जन्म तिथि अपने छात्र पंजीयन पंजिका में अंकित की थी। पीड़िता के अपनी प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनानुसार, जैसा कि पूर्व में विवेचना की जा चुकी है कि उसने केवल एक ही सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने का कथन किया है । अतः ऐसी परिस्थिति में जब कि कक्षा १ मे ंप्रवेश के समय अंकित जन्म तिथि के सम्बन्ध में कोई जन्म प्रमाणपत्र न हो , प्रदर्श क-१३ में अंकित जन्म तिथि का सत्य होना स्पष्ट नहीं होता है, क्योकि सूचनाकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१ अनवार अहमद पीड़िता की जन्म तिथि के सम्बन्ध में सन तथा माह बताने में असमर्थ रहा है । अतः ऐसी परिस्थिति में पीड़िता का जन्म प्रमाणपत्र जन्म तिथि के सन्दर्भ में एक उत्तम साक्ष्य हो सकता था, परन्तु वह अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

१९- विवेचक द्वारा पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में चिकित्सक जॉच भी करायी गई है तथा पीड़िता शायमा का आयु प्रमाणपत्र जो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया है वह मूल रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, जो कागज संख्या-१०ए है।जिसमें पीड़िता के क्षरश्मि पट्टी एवं क्षरश्मि आख्या के आधार पर पीड़िता की आयु कथित घटना के समय १९ वर्ष अंकित की गई है।

२०- अभियोजन साक्षी संख्या-३ चिकित्सक दिनेश कुमार वरिष्ठ परामर्शदाता जिला

चिकित्सालय बुलन्दशहर है, इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक १५.६.२०१० को वह उपरोक्त पद पर थे और कुमारी शायमा पुत्री अनवार अहमद निवासी ग्राम जाडौल थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर ,जिसको मुख्य चिकित्साधिकारी बुलन्दशहर द्वारा क्षरश्मि हेतु भेजा गया था, जिसे पुलिस की सिपाही सुनीता लेकर आयी थी । उसकी कोहनी, घुटना कलाई व हॅसली के क्षरशिम किये गये थे व आख्या तैयार की गई थी। क्षरश्मि पट्टी वस्तु प्रदर्श क-१ व क्षरश्मि आख्या प्रदर्श क-३ को चिकित्सक अभियोजन साक्षी संख्या-३ ने अपने लेख व हस्ताक्षर में सिद्ध किया है।

क्षरिश्म आख्या प्रदर्श क-३ में अंकित कथनानुसार,शायमा की कोहनी, घुटना व कलाई के सभी अधिप्रबर्घ (एपीसिजिज) जुड़ी थी जब कि हॅसली की नहीं जुड़ी थी।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि महिला में कोहनी १६ वर्ष में, घुटना १७ वर्ष में व कलाई १६ वर्ष में पूरी तरह जुड़ जाती है। चिकित्सक अभियोजन साक्षी संख्या-३ की प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त कथनो व क्षरश्मि के अनुसार पीड़िता की आयु १६ वर्ष थी, जैसा कि मुख्य चिकित्साधिकारी बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित किये गये आयु प्रमाणपत्र में अंकित है।

चिकित्सक अभियोजन साक्षी-३ ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसके सामने लड़की प्रस्तुत हुई जिसका उसने अंगूठा लगवाया ।क्षरश्मि आख्या अगले दिन सुबह दी जाती है जब तक की मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसी दिन मॉग न की गई हो। क्षरश्मि कराने से पहले वह लड़की उसके सामने प्रस्तुत हुई थी व क्षरश्मि के बाद भी वह लड़की उसके सामने प्रस्तुत हुई थी।क्षरश्मि पर पीड़िता शायमा का अंगूॅठा अंकित है, जिसे चिकित्सक अभियोजन साक्षी संख्या-३ द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कथित घटना के समय पीड़िता लगभग १६ वर्ष की थी अर्थात बालिग थी।

२१. अभियोजन साक्षी संख्या-१ अनवार अहमद जो कथित प्रकरण का सूचनाकर्ता है तथा पीड़िता का पिता है, ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक

१०.६.२०१० को जब वह अपने घर से काम करने के लिये गया था तो कलुआ उसके घर के बाहर घूम रहा था,जब दोपहर को वह अपने घर पर आया तो उसे घर पर शायमा नहीं मिली। उसे ढूँढा तो पता चला कि उसकी लड़की शायमा को प्रातः १०.३० बजे अभियुक्त कलुआ बहला फुसला कर ले गया है। वह कलुवा के घर पर गया तो कलुआ की मॉ ने कहा कि वह लड़की को अभी बुलवा देते है, पुलिस मे ंसूचना मत करों ।जब अगले दिन भी उसकी लड़की को लेकर नहीं आया तो उसने थाने पर लिखित प्रार्थनापत्र दिया।

अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-२ पर सूचनाकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१ ने यह कथन किया है कि घटना दिनांक १०.६.२०१० प्रातः १०.३० बजे की है। कई लोगो ने जब शोर किया कि कलुवा शायमा को लेकर गया तो उसे ज्ञात हुआ । किस-किस ने शोर किया नाम नहीं बता सकता ।

सूचनाकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१ के प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि कई लोगो के द्वारा जब शोर किया गया ,तब उसे पता चला कि अभियुक्त कलुआ उसकी पुत्री शायमा को लेकर गया है। यह साक्षी यह बताने में असफल रहा है कि शोर किस-किस ने किया था। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में सूचनाकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१ को कैसे पता चला कि अभियुक्त ही उसकी पुत्री पीड़िता को ले गया है।

अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-३ पर सूचनाकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१, के कथनानुसार, कलुवा दो-तीन वर्ष पहले एक पंडित के घर मे ंदुकान करता था। उस पंडित का घर दूसरी गली में बीसियों के घर के बाद है।------कलुवा सिलाई का कार्य करता था।

अभियोजन साक्षी संख्या-१ के उपरोक्त कथनानुसार, अभियुक्त कुलवा किसी पंडित के घर सिलाई का काम करता है।

पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या-२ ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-३ पर यह कथन किया है कि वह कलुवा को गांव के रिश्ते से जानती है।कलुवा उसके चाचा के यहॉ कपड़ो की सिलाई की दुकान करता था। अपनी दुकान करता था। चाचा का घर

उनके घर से १०-१२ घर दूर है।

अतः स्पष्ट है कि सूचनाकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१ तथा पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या-२ के कथनों में इस सन्दर्भ में स्पष्ट विरोधाभास है कि अभियुक्त कलुवा किसी पंडित के घर में सिलाई का काम करता था या पीड़िता के चाचा के घर में सिलाई का कार्य करता था, जिससे सन्देह उत्पन्न होता है और अभियोजनसाक्षी संख्या-१ तथा अभियोजन साक्षी संख्या-२ की विश्वसनीयता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

२२. अन्तर्गत धारा ३१३ दं.प्र.सं में अभियुक्त ने यह कथन किया है कि पीडि.ता स्वेच्छा से उसके साथ गयी थी, परिवार वालों के प्रभाव में पीड़िता ने अपनी साक्ष्य बदली है।

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-२ वकील पुत्र मौहम्मद सईद के कथनानुसार, पीड़िता उसकी पड़ोसी है। घटना के समय कलुवा उनके घर सिलाई का काम करता थां।

अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-२ व ३ पर प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-२ ने यह कथन किया है कि कलुवा पीड़िता की दुकान में कार्य करता था। दुकान पीड़िता के घर में ही बनी हुई है। कलुवा पीड़िता की दुकान में घटना से ६-७ माह पहले से आसामी (किरायेदार) था।

अभियोजन साक्षी संख्या १ व अभियोजन साक्षी संख्या-२ में इस सन्दर्भ में कि अभियुक्त कहॉ सिलाई का कार्य करता था, स्पष्ट विरोधाभास है,जब कि दोनो साक्षीगण आपस में पिता-पुत्री है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनो साक्षीगण द्वारा यह छिपाने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में अभियुक्त कलुवा किसकी दुकान में सिलाई का कार्य करता था।

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-२ के कथनानुसार, अभियुक्त पीड़िता के घर की दुकान में ही आसामी (किरायेदार) था।

ऐसी परिस्थिति में जब कि स्वयं अभियोजन साक्षी संख्या-१ ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने कलुवा को कथित घटना की दिनांक व समय पर अपने घर के बाहर घुमते हुये देखा था,प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-२ के इस कथन की

पुष्टि नहीं होती है कि वास्तव में अभियुक्त कलुवा पीड़िता के चाचा के यहाँ सिलाई का कार्य करता था।

२३- अभियोजन साक्षी संख्या-१ अनवार अहमद ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-४ पर यह कथन किया है कि जैसे कि लोग बताते है कि घटना के दिन कलुवा उसके घर के आस पास घूम रहा था, उसकी लड़की जैसे ही चाय देने घर से चली कलुवा उसका मुँह दवा के लेकर भाग गया। शायमा का छोटा भाई खेत पर था ,उसको चाय देने शायमा गई थी।

अभियोजन साक्षी संख्या-१ के प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त कथनो से स्पष्ट है कि पीड़िता शायमा अपने छोटे भाई को खेत पर चाय देने के लिये जैसे ही घर से बाहर निकली कि अभियुक्त कलुवा उसका मुँह भीच दवा कर ले कर भाग गया।

२४. अभियोजन साक्षी संख्या-२ पीड़िता शायमा ने अपनी साक्ष्य में यह कथन कियाहै कि वह अपने छोटे भाई को चाय देने के लिये घर से निकली खेत के पास वह पहुँची तो उसने देखा कि कलुवा व उसके साथ दो ढाटा बॉधे लड़के खड़े थे। कलुवा ने उसका मुँह भीच लिया तथा दुपहिया पर बैठा लिया और बिठाकर गांव से बाहर ले गया वहॉ पर एक कार खड़ी थी।,उसमें उसको डाल दिया ।

अतः पीड़िता साक्षी की साक्ष्य में किये गये कथनानुसार, कलुवा द्वारा उसका मुँह भीच कर खेत के पास ले जाया गया जब कि अभियोजन साक्षी संख्या-१ के अनुसार, घर से बाहर निकलते ही अभियुक्त कलुवा पीड़िता का मुँह भीच कर ले गया था। अतः अभियुक्त द्वारा पीड़िता को किस जगह से ले जाया गया इस तथ्य के सन्दर्भ में स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे सन्देह उत्पन्न होता है।

२५. पीड़िता साक्षी ने कथित घटना के समय दो ढाटा बॉधे व्यक्तियों का भी अभियुक्त के साथ होना बताया है,जब कि अभियोजन साक्षी संख्या-१ ने इस तथ्य के सन्दर्भ में कोई कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किया हैं तथा पीड़िता साक्षी ने भी अपनी मुख्य साक्ष्य में केवल कलुवा द्वारा मुँह भीच कर ले जाना बताया है। उन ढाटा बॉधे दो व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य कथित घटना के सन्दर्भ में करने का कोई कथन नहीं

किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता साक्षी द्वारा वास्तविकता को छिपा कर नई कहानी सृजित करने का प्रयास किया गया है, इससे पीड़िता साक्षी की विश्वसनीयता नाकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

२६. अभियोजन साक्षी संख्या-२ पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-३ पर यह कथन किया है कि घटना के समय वह उन दोनों ढाटा बॉधे को नही ंपहचान पायी थी। १५-२० दिन बाद जब वह ढाटा बॉधे व्यक्ति गांव में टहल रहे थे तो उसने उन्हे ऑखों से पहचाना ।उसने गांव मे ंउनका नाम पूछा था तो उन्होने उनका नाम जितेन्द्र व हेमन्त बताया । उसने पता चलने के बाद इनकी सूचना का प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नही ंदिया।

यहॉ स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब अभियुक्त के साथ दो व्यक्ति ढाटा बॉधे थे, तब पीड़िता साक्षी संख्या-२ ने उन्हे कैसे पहचाना और यदि पहचान लिया था, तो इस जानकारी की कोई सूचना या प्रार्थनापत्र विवेचक अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को क्यों नहीं दिया, इससे भी सन्देह उत्पन्न होता है।

२७. अभियोजन साक्षी संख्या-२ पीड़िता शायमा ने अपनी साक्ष्य मे ंयह कथन किया है कि अभियुक्त कलुआ उसकी मुॅह भीच कर दो पहिया वाहन पर बिठाकर गांव से बाहर ले गया और बाहर एक कार खडी थी, उसमें उसे डाल दिया। कलुवा वहॉ से उसे नजफगढ दिल्ली ले गया, वहॉ उसे एक कमरे में बन्द कर दिया और स्वयं भी कमरे में आ गया ।दोनो लड़के बाहर रह गये ।कलुवा ने बलपूर्वक उसके कपड़े उतार कर उसके साथ बलात्कार किया थां। जब उसने उससे कहा कि उसे घर पर जाना है तो कलुवा ने कहा कि वह उसे जान से मार देगा।

पीड़िता साक्षी के अपनी साक्ष्य में किये गये कथनानुसार, अभियुक्त कलुवा उसे दो पहिया वाहन व कार से अपहृत कर नजफगढ दिल्ली ले गया था और कमरे में बन्द कर बलपूर्वक उसके साथ बलात्कार किया था और जान से मारने की धमकी दी थी।

अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-२ पर अभियोजन साक्षी संख्या-२ पीड़िता ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसे अभियुक्त नजफगढ दिल्ली ले गया था

नजफगढ अभियुक्त उसे कार से ले गया था।

प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-३ पर पीड़िता साक्षी के कथनानुसार, अभियुक्त उसे छोड़कर बाहर नहीं जाता था।चौबीस घण्टे वही पर रहता था, इसलिये उसे भागने का अवसर नहीं मिला ।

अभियोजन साक्षी संख्या-२ शायमा/ पीड़िता ने अपनी साक्ष्य अन्तर्गत धारा १६४ दं.प्र.सं को प्रदर्श क-२ के रूप में सिद्ध किया है और अपना अंगूठे चिन्ह को पहचाना है।

पीड़िता की साक्ष्य अन्तर्गत धारा १६४ दं.प्र.सं प्रदर्श क-२ में अंकित कथनानुसार, घटना दिनांक १०.६.२०१० की है वह अपने खेत पर अपने भाई को चाय देने गयी थी।वहॉ खेत पर कलुवा व दो ढाटा बॉधे लड़के आये और उसे खेत से जबरदस्ती उठा कर ले गये बात दिन के १०.३० बजे की थी। खेत पर कोई नही ंथा उसका भाई थोड़ी दूर था, उसका मुॅह अभियुक्तगण ने भीच लिया थां।

पीड़िता साक्षी ने न्यायालय में हुये अपने सशपथ साक्ष्य में केवल अभियुक्त कलुवा द्वारा मुॅह भीचने का कथन किया है। अतः स्पष्ट है कि पीड़िता की साक्ष्य १६४ दं.प्र.सं तथा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों में मुॅह भीचने के सन्दर्भ में भिन्नता है, जिससे सन्देह उत्पन्न होता है।

साक्ष्य १६४ दं.प्र.सं मे ंपीड़िता शायमा ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त उसे दिल्ली की तरफ ले गया था। वहॉ उद्यान में कलुवा ने उसके साथ बलात्कार किया था। यह रात की बात थी और उद्यान खाली था।बुरा काम करने के बाद कलुवा उसे उद्यान में ही छोड़ कर भाग गया था।

पीड़िता साक्षी के अपनी साक्ष्य १६४ दं.प्र.सं के अन्तर्गत यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त ने उसके साथ खाली उद्यान में बलात्कार किया और बुरा काम करने के बाद उद्यान में ही छोड़ कर भाग गया था, जब कि न्यायालय के समक्ष हुई साक्ष्य में पीड़िता के कथनानुसार, अभियुक्त ने उसे दिल्ली में एक कमरे में बन्द करके रखा और उस कमरें में बलपूर्वक बलात्कार किया ।

अतः स्पष्ट है कि बलात्कार करने के स्थल के सम्बन्ध में भी पीड़िता साक्षी

की साक्ष्य अन्तर्गत धारा १६४ दं.प्र.सं तथा न्यायालय में सशपथ किये गये कथनों में स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे पीड़िता की विश्वसनीयता नकारात्क रूप से प्रभावित होती है।

२८. अभियोजन साक्षी संख्या-७ विवेचक साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-४ पर यह कथन किया है कि उसने जहॉ-जहॉ पीड़िता रूकी थी, धर्मशाला ,नजफगढ, दिल्ली व उद्यान आदि का प्रारूप नहीं बनाया था। पीड़िता ने उसे वह जगह नहीं दिखायी थी, इसलिये उसने प्रारूप नहीं बनाया था।

विवेचक साक्षी के उपरोक्त कथनों से भी कथित बलात्कार स्थल की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं होती है।

२९. साक्ष्य १६४ दं.प्र.सं प्रदर्श क-२ में अंकित कथनानुसार, बुरा काम करने के बाद कलुवा पीड़िता को उद्यान में ही छोड़कर भाग गया था। वह पैदल व रिक्शे से लखावटी आई, वहॉ उसे पुलिस वाले मिले वह उसे खानपुर चौकी तक लाये।

जब कि अभियोजन साक्षी संख्या-२ के रूप में पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि कलुवा दिनांक १३.६.२०१० को उसी कार से वापिस लेकर आया और जहॉगीराबाद में एक भोजनालय के सामने खाना खाने के लिये रूका ,पुलिस ने उसे पकड़ लिया तथा उसे भी पुलिस ने पकड़ा।

पीड़िता साक्षी के अपनी साक्ष्य में किये गये कथन तथा दं.प्र.सं कीधारा १६४ में किये गये कथनो में इस सन्दर्भ में स्पष्ट विरोधाभास है कि वह अभियुक्त से छूट कर वह अकेली लखावटी रिक्शे से व पैदल आई अथवा उसी कार से जिससे अभियुक्त उसे दिल्ली ले गया था अभियुक्त के साथ जहॉगीराबाद आई, वहॉ पर खाना खाने के लिये रूके तो पुलिस ने अभियुक्त और पीड़िता दोनों को पकड़ लिया। स्पष्ट है कि पीड़िता अपनी साक्ष्य में कथित घटना से सम्बन्धित मुख्य बिन्दुओं पर कोई निश्चित कथन नहीं कर पायी है ,जिससे पीड़िता साक्षी विश्वसनीय साक्षी होना स्पष्ट नहीं होती है।

३०. अभियोजन साक्षी संख्या-७ ने कथित घटना स्थल के प्रारूप को अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रदर्श क-८ के रूप में सिद्ध किया है तथा पीड़िता के मिलने के

घटनास्थल के प्रारूप प्रदर्श क-६ को भी ंसिद्ध किया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र प्रदर्श क-१० को भी अपने लेख व हस्ताक्षर में सिद्ध किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ की बढोत्तरी की समान्य दैनिकी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क-११ को अपने लेख व हस्ताक्षर में सिद्ध किया है। जहॉ पीड़िता पुलिस को मिली है, उसके प्रारूप प्रदर्श-६ में चिन्ह से भोजनालनय जहॉ पूरी खाते अपहृता मिली है, दिखाया गया है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त व अपहृता एक साथ खाना खाते हुये मिले है, जिससे अभियुक्त के अपने धारा ३१३ दं.प्र.सं में किये गये इस कथन को बल मिलता है कि पीड़िता स्वेच्छा से उसके साथ गई थी।

३१. अभियोजन साक्षी संख्या-२ पीड़िता शायमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-३ पर किये गये कथनानुसार, उस घर जिसके कमरे में अपहृता को रखा गया था , आसपास क्या था वह नहीं कह सकती ।उसकी ऑखे खुली थी परन्तु उसने ध्यान नहीं दिया कि आसपास क्या है?

ऐसी परिस्थिति में जब किसी महिला को बलपूर्वक अपहृत कर ले जाकर बलात्कार जैसा घिनौना अपराध किया जाये और वह यह भी ध्यान न दे कि आसपास क्या है? अस्वाभाविक है, जिससे यही स्पष्ट होता है कि पीड़िता स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ गई थी।

३२. अभियोजन साक्षी संख्या-२ पीड़िता सायमा ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-४ पर यह कथन किया है कि घटना के समय उसने बैगनी व गेरूवा रंग का सूट पहने रखा था। बैगनी सलवार थी जम्फर गेरूआ रंग का थां।---- बुरा काम करते समय उसके कपड़े गन्दे हो गये थे, वह कपड़े दरोगाजी ने नहीं लिये थे।

अभियोजन साक्षी संख्या-७ विवेचक साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ- ५ पर स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने पीड़िता के कपड़े मौके पर लिये थे।

अतः स्पष्ट है कि पीड़िता साक्षी और विवेचक साक्षी के इस कथन में स्पष्ट विरोधाभास है कि कथित घटना के समय पहने हुये कपड़े विवेचक द्वारा लिये गये अथवा नहीं, जिससे भी सन्देह उत्पन्न होता है।

पीड़िता साक्षी ने अपनी साक्ष्य के पृष्ठ -२ पर स्पष्ट रूप से यह कथन किया

है कि कलुवा दिनांक १३.६.२०१० को उसी कार से वापिस लेकर आया और जहॉगीराबाद में एक भोजनालय के सामने खाना खाने के लिये रूका, पुलिस ने उसे पकड़ लिया तथा उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया ।

पीड़िता साक्षी के साक्ष्य में किये गये उपरोक्त कथनानुसार, अभियुक्त कलुआ पीड़िता को उसी कार से लेकर वापिस आ रहा था जिससे वह उसे ले गया थां ।

अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ -३ पर पीड़िता साक्षी के कथनानुसार, उसने विवेचक को यह बताया था कि बस से जैसे ही वह और कलुआ उतरे पुलिस ने उन्हे पकड़ लिया ।

अतः प्रतिपरीक्षा में किये गये पीड़िता के उपरोक्त कथनो ंसे यह स्पष्ट होता है कि कलुवा और पीड़िता बस से वापिस आ रहे थे और बस से जैसे ही वे लोग उतरे पुलिस ने उन्हे पकड़ लिया ।

अतः स्पष्ट है कि पीड़िता के अपनी साक्ष्य तथा प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों में इस सन्दर्भ में स्पष्ट विरोधाभास है कि अभियुक्त कलुआ उसे कार से वापिस लेकर आ रहा था अथवा बस से ।अतः पुनः पीड़िता साक्षी की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

३३. पीड़िता सायमा के दं.प्र.सं की धारा १६४ के अन्तर्गत किये गये कथन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अंकित किये गये है ,जिसे पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या-२ ने प्रदर्श क-२ के रूप में सिद्ध किया है ।इस प्रदर्श क-२ पर पीड़िता ने अपने हस्ताक्षर नहीं किये है बल्कि दो स्थानों पर उसका अंगूठा का चिन्ह अंकित है। पीड़िता सायमा अभियोजन साक्षी संख्या-२ के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुई है। इस साक्षी ने न्यायालय में दिये गये अपनी साक्ष्य के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये है तथा प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-३ पर पीड़िता साक्षी ने यह स्वीकार भी किया है कि वह कक्षा -आठ तक पढ़ी है।

अतः ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि पीड़िता पढी लिखी थी और हस्ताक्षर करना जानती थी, तब उसके द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गयी साक्ष्य के पृष्ठ पर अंगूठा चिन्ह क्यों अंकित है? इस सन्दर्भ में

अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिये गये है, इससे भी यही स्पष्ट होता है कि पीड़िता कथित घटना से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने का प्रयास कर रही थी। इससे अभियुक्त के दं.प्र.सं. में किये गये इस कथन को बल मिलता है कि पीड़िता स्वेच्छा से उसके साथ गई थी।

३४. अभियोजन साक्षी संख्या-४ चिकित्सक पीतमसिंह वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर है, जिन्होने पीड़िता के योनी के द्रव्य की कॉच पट्टिका की जॉच कर आख्या प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार पीड़िता के योनि द्रव्य में कोई मृत व जीवित शुक्राणु नहीं पाये गये ।इस आख्या को चिकित्सक साक्षी संख्या-४ ने अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रदर्श क-४ के रूप में सिद्ध किया है।

अपनी प्रतिपरीक्षा में भी चिकित्सक साक्षी ने यह कथन किया है कि दिनांक १६.६.२०१० को कॉच पट्टिका उसके पास आई ।उस कॉच पट्टिका को पुलिस वाले लाये थे ,उसने कॉच पट्टिका की उसी दिन जॉच की थी। उस कॉच पट्टिका पर कोई मृत या जीवित शुक्राणु नही ंमिले थे।

३५. अभियोजन साक्षी संख्या-५ चिकित्सक सुधा शर्मा है, जिनके द्वारा दिनांक १४.६.२०१० को पीड़िता की जॉच कर चिकित्सीय आख्या प्रस्तुत की गई है, जिसे इस चिकित्सक साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रदर्श क-५ के रूप मे ंसिद्ध किया है।

अभियोजन साक्षी संख्या-५ , चिकित्सक साक्षी के कथनानुसार, पीड़िता की छाती विकसित थी बाल पेट के नीचे उगे थे। उसके शरीर पर कोई चोट का चिन्ह् नही था। पेट के निचले हिस्से तथा जॉघो के बीच भी कोई चोट का चिन्ह नहीं था।पीड़िता की कोमार्य झिल्ली पुरानी फटी हुयी थी।योनि मे ंदो अंगुली जा रही थी ।

चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य में किये गये कथनानुसार, पीड़िता के शरीर पर कोई चोट आदि का चिन्ह् नही ंथा ,जिससे प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियो में यह स्पष्ट नहीं होता कि पीड़िता को बलपूर्वक ले जाकर उसके साथ बलपूर्वक बलात्कार किया गया है।

३६. अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट

पंजीकृत कराये जाने में अनावश्यक विलम्ब है,जिससे सन्देह उत्पन्न होता है।

कथित घटना दिनांक १०.६.२०१० के प्रातः १०.३० बजे की है,जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक ११.६.२०१० को १६.०० बजे अर्थात रात के ६.०० बजे पंजीकृत कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने में लगभग डेढ दिन का विलम्ब है।

३७. अभियोजन साक्षी संख्या-६ पुलिस का सिपाही बलजीत सिह है,जिन्होने प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक जगवीर सिह के हस्ताक्षर में प्रदर्श क-६ के रूप मे सिद्ध किया है और अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक ११.६.२०१० को ही इस साक्षी ने दाण्डिक वाद का उल्लेख उसी दिन सामान्य पंजिका संख्या ३५ समय १६ बजे पंजीकृत किया था। इस साक्षी ने सामान्य पंजिका की प्रमाणित मसि प्रतिलिपि को प्रदर्श क-७ के रूप मे सिद्ध किया है।

सूचनाकर्ता अनवार अहमद के लिखित प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-१ में अंकित कथनानुसार, कथित घटना की दिनॉक को ही उसे यह ज्ञान हो गया था कि उसकी पुत्री पीड़िता को अभियुक्त कलुवा ले गया है ,जो ढूॅढने पर नहीं मिली इसलिये उसके द्वारा सूचनार्थ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सूचनाकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या-१ अनवार अहमद के अपनी साक्ष्य में किये गये कथनानुसार, वह कथित घटना की दिनॉक को ही दोपहर में घर आया तो ढूॅढने पर उसे पता चल गया था कि लड़की शायमा को अभियुक्त कलुवा ले गया है और वह कलुवा के घर भी गया था और कलुआ की मॉ से बात भी की थी और कलुवा की मॉ ने उससे कहा था की लड़की को अभी बुलवा देते है।

अतः ऐसी परिस्थितियों में जब कि यह ज्ञान होने पर भी की पीड़िता को अभियुक्त ही ले गया है और उसकी मॉ ने पीड़िता को बुलवाने की बात भी कही थी लेकिन पीड़िता नहीं आई तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सूचनाकर्ता द्वारा उसी दिन थाना पर सूचना क्यो नहीं दी गई, इस सन्दर्भ मे कोई सन्तोषजनक कथन अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं किये गये है, जिससे सन्देह उत्पन्न होता है और अभियुक्त द्वारा अपने ३१३ दं.प्र.सं में किये गये कथनं कि

पीडिता स्वेच्छा से उसके साथ गई थी, बल मिलता है।

३८. अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य में पीड़िता शायमा के पॉच पत्र दाखिल किये है, जिनमें अंकित कथनो से उन पत्रों का प्रेमपत्र होना स्पष्ट होता है। दाखिल पत्रों में पीड़िता शायमा सैफी का नाम अंकित है तथा अन्तिम पंक्ति में मेरे जानू-क मेरी जान-क, मेरे पति-क तथा पत्र कागज संख्या ५७/५ पर कलुआ का नाम अंकित है।

अभियुक्त की ओर से पीड़िता का अभियुक्त के साथ प्रेम सम्बन्ध के सन्दर्भ में तथ्य के साक्षीगण को सुझाव भी दिया गया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-१ के रूप में यह कथन किया है कि उसके धर से पीड़िता का घर लगभग एक किलो मीटर दूर है। पॉच प्रेमपत्र शायमा ने उसे दिये थे और ये पॉचों प्रेमपत्र उसके प्रेम सम्बन्धो पर आधारित है। शायमा उससे प्यार करती थी। उन दोनो में जाति का अन्तर था, क्योंकि शायमा मुसलमान थी । शायमा के माता-पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होने उसके विरूद्ध मिथ्या सूचना लिखा दी।

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-२ वकील पुत्र मौहम्मद सईद है। इससाक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि शायमा के घरवाले तथा शायमा कलुआ से पैसे रूपये तथा मुर्गा आदि मांगते थे।पीड़िता शायमा अपने आप कलुआ के साथ चली गई।

अपनी प्रतिपरीक्षा मे प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-२ ने यह कथन किया है कि शायमा के पिता का नाम अनवार है । अनवार के यहॉ उसका आना जाना है इसलिये उसे जानकारी है कि शायमा व उसके घरवाले मुर्गा व पैसे मॉगते रहते थे। उसके सामने भी कलुवा अनवार के यहॉ मुर्गा लेकर आया था।

ऐसी परिस्थिति में जब कि पीड़िता साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है जैसा कि पूर्व मे विवेचना की जा चुकी है तथा समस्त अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ गई थी। प्रतिरक्षा साक्ष्य से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि पीड़िता स्वेच्छा से स्वयं अभियुक्त के साथ गई थी।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि तथ्य

के साक्षीगण के कथनों में कथित घटना के सन्दर्भ में स्पष्ट विरोधाभास है तथा पीड़िता साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है। अभियोजन कथानक की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य तथा विवेचक साक्षी की साक्ष्य से भी नहीं हुई है। कथित अपराध की प्रथम सूचना रिर्पोर्ट पंजीकृत कराये जाने में अनावश्यक विलम्ब है।

अतः स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप सन्देह से परे स्थापित करने में असफल रहा है, तदानुसार अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त कलुवा पुत्र महेन्द्र सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३६३, ३६६ एवं ३७६ से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त प्रतिभू पर है। उसके प्रतिभूनामे ंव बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

धारा ४३७ए दं.प्र.सं के उपबन्धो ंके अनुपालन में अभियुक्त अंकन बीस -बीस हजार के दो प्रतिभू तथा इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रस्तुत करे कि इस निर्णय के विरूद्ध अपील संस्थित किये जाने की दशा में वह माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष सूचना प्राप्त होने पर उपस्थित होगा।

दिनांक-०६.६.२०१४ (कामिनी पाठक)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष,
न्याय कक्ष संख्या-१५,बुलन्दषहर

आज निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांक- ०६.६.२०१४ (कामिनी पाठक)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष,
न्याय कक्ष संख्या-१५,बुलन्दषहर

<u>२६.११.२०१३:-</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। जमानती ओम प्रकाश उपस्थित नही है, न ही उसकी ओर से कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार जमानती ओम प्रकाश जिला जेल डासना में बन्द चल रहा है, हिस्ट्री-शीटर है।

जमानती ओम प्रकाश के रिकवरी वारन्ट लगातार जारी किये जा रहे हैं। प्रकरण सन २००६ से विचाराधीन है। अतः आदेश हुआ कि जमानती ओम प्रकाश के विरूद्ध तीस हजार रूपये के स्थाई वारन्ट जारी कर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(कामिनी पाठक)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष,
न्याय कक्ष संख्या-१५,बुलन्दषहर